

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, झुन्झुनू  
(पीटासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान उदावास

:- आदेश :-

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उदावास व मू.अ.नि. कुलौदकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार झुन्झुनू की अनुशंसा के आधार पर रा

जस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उदावास तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 (वर्ष 2018 से स्थायी) में खाता संख्या 15 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	उदावास	15	<del>विरेंद्र पुत्र कालूसिंह</del>	विरेंद्र सिंह पुत्र कालूसिंह

(सुप्रिया)

पीटासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलेक्टर, झुन्झुनू

दिनांक :- 30/5/23

क्रमांक :- 1  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, झुन्झुनू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(सुप्रिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
पीटासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलेक्टर, झुन्झुनू